समक्ष- न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर म. प्र.

निगरानी 916-I-15

शाहिद अली बल्द सैयद अली,
सा0 हिरनखेड़ा तह0 राहतगढ़
जिला सागर म. प्र. ... आवेदक

।। विरूद्ध ।।

1. म. प्र. शासन
2. वन विभाग म. प्र. शासन
दक्षिण वन मंडल रेंज आफिस राहतगढ़,
जिला सागर म. प्र. ... अनावेदकगण

रा. प्र. क्र. प्रस्तुत दि0

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालयश्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग सागर म. प्र. के अपील प्र0क्र0 340/अ-68 वर्ष 2012-13 नाम पक्षकार शाहिद अली वि0 म0प्र. शासन, व अन्य एक में पारितआदेश दिनांक 27.02.2015 के आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक एवं विधि परक तथ्यों के आधार पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है :--

// प्रकरण के तथ्य //

1- यहकि, मौजा हिरनखेड़ा प. ह. नं. 17 ख. नं. 498/2, 499, 566/1 रकवाक्रमशः 0.38, 0.56, 0.83 एकड़ रकवा 1.57 हेक्टेयर पर अतिक्रमण रिपोर्ट पेश कर अतिक्रमण का केस बनाया गया था जिसमें आवेदक का 1500/-रू0 जुर्माना कर दिया गया। आवेदक के द्वारा अर्थदंड की राशि 1500/-रू0 रसीद क्र. 116/994 में जमा दिनांक 28.03.2012 को करदिया था, तब आवेदक की फसल (लाख) की थ्रेसिंग कराकर उसे मंडी में विक्रय करके राशि शासकीय कोषालय में 4,00,000/-रू0 जमा कर दिये । जब आवेदक ने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2161-I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	शाहिद अली कार्यवाही तथा आदेश म०प्र० शासन व अन्य	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 340/अ-68/12-13 में पारित आदेश दिनांक 27-2-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परीक्षण किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-2-15 का परिशीलन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का होकर अतिक्रमणयुक्त भूमि पर खड़ी फसल की नीलामी राशि राजसात करने से संबंधित है। अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया गया और न ही ऐसा कोई सारिक अभिलेखीय आधार ही प्रस्तुत किया गया जो निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का खण्डन किया जाकर स्वयं का पक्ष समर्थन करते। इसके साथ ही अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट एवं विस्तृत तथा सुस्पष्ट विश्लेषण करते हुए बोलते हुए निष्कर्षों के स्वरूप में आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।	

R. 9/6/1/15 (नगर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
शाहिद अली	म0 प्र0 शासन	
	परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0रि0 हो।	
	(सदस्य)	